


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 22] नई दिल्ली, नवम्बर 8—नवम्बर 14, 2015, शनिवार/कार्तिक 17— कार्तिक 23, 1937
No. 22] NEW DELHI, NOVEMBER 8—NOVEMBER 14, 2015, SATURDAY/KARTIKA 17—KARTIKA 23, 1937

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय
(रक्षा उत्पादन विभाग)

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2015

का.नि.आ. 44.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय आयुध निर्माणी स्वास्थ्य सेवा (समूह "क") भर्ती नियम 2001 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय आयुध निर्माणी स्वास्थ्य सेवा में भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् -

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय आयुध निर्माणी स्वास्थ्य सेवा (समूह "क") भर्ती नियम 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है,

(ख) "नियंत्रण प्राधिकारी" से रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग में भारत सरकार अभिप्रेत है,

(ग) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से सेवा के समूह "क" पदों पर प्रोन्नति के मामलों पर विचार करने के लिए अनुसूची 3 के विनिर्दिष्ट समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति अभिप्रेत है;

(घ) "विभागीय पुष्टि समिति" से सेवा के समूह "क" पदों पर पुष्टि के मामलों पर विचार करने के लिए अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट समूह "क" विभागीय पुष्टि समिति अभिप्रेत है;

(ङ) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है;

(च) "ग्रेड" से सेवा की कोई ग्रेड अभिप्रेत है;

(छ) "अनुसूची" से उन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ज) "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति" का क्रमशः वही अर्थ है जो उनका संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड(24) और खंड(25) में है;

(झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित जातियां तथा समुदाय अभिप्रेत है;

(ञ) "सेवा" से भारतीय आयुध निर्माणी स्वास्थ्य सेवा अभिप्रेत है जिनमें इन नियमों का अनुसूची -1 में वर्णित पद पर या ग्रेड और समय कालमान होंगे तथा उसमें अधिकारियों के निम्नलिखित उप-वर्ग और श्रेणियां समाविष्ट होंगी अर्थात्-

क: "साधारण ड्यूटी उप-काडर"

ख:- निम्नलिखित विधाओं में "विशेषज्ञ उप-काडर" :-

- (1) संवेदनाहरण विज्ञान
- (2) साधारण औषधि
- (3) साधारण शल्य चिकित्सा
- (4) प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान
- (5) विकृति विज्ञान
- (6) विकिरण विज्ञान

3. गठन, वर्गीकरण, श्रेणियां, वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान -(1) भारतीय आयुध निर्माणी सेवा में नियम 4 और 6 के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्ति होंगे :

परंतु सरकार, आयोग के परामर्श द्वारा इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची -1 में सम्मिलित पदों से भिन्न इस प्रकार के पदों जिन्हें प्रतिष्ठा, ग्रेड वेतनमान और व्यवसायिक अंतर्वस्तु या ग्रेड या समय वेतनमान में, सेवा में सम्मिलित पदों के समान समझा जाए को सम्मिलित कर सकती है या उक्त अनुसूची में सम्मिलित किसी पद ग्रेड या समय वेतनमान को सेवा से अपवर्जित कर सकेगी ।

3.(2). सेवा में सम्मिलित सभी पदों को समूह "क" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, और उनसे संबंधित ग्रेड, वेतनमान, प्रेक्टिसबंदी और कतिपय अन्य मामले अनुसूची-1 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. सेवा का गठन (1) इन नियमों के अधीन समूह "क" पद धारण करने वाले सभी अधिकारी सेवा के संबंधित उप वर्गों में पद या श्रेणियों के सदस्य होंगे ।

(2) सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ड्यूटी पदों तथा प्रतिनियुक्ति पदों की प्राधिकृत संख्या अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी ।

(3) विभिन्न श्रेणियों में ड्यूटी पदों तथा प्रतिनियुक्ति पदों की प्राधिकृत स्थायी संख्या आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाएगी ।

5. भर्ती की पद्धति - सेवा में भर्ती निम्नलिखित पद्धतियों द्वारा की जाएगी, अर्थात् -

- (i) प्रोन्नति द्वारा ,

(ii) सीधी भर्ती द्वारा,

(iii) केंद्रीय सरकार (जिसके अंतर्गत रेल और रक्षा मंत्रालय भी है) या राज्य सरकार के अधीन सदृश पद धारण करने वाले उपयुक्त अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा,

(iv) कानूनी निकायों, स्वायत्त निकायों, अर्ध-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन सदृश पद धारण करने वाले उपयुक्त अधिकारियों की अल्पकालिक संविदा द्वारा ।

6. सेवा का भावी अनुरक्षण- (1) अनुसूची-1 में निर्दिष्ट ग्रेड में किसी रिक्ति को इन नियमों में इसके पश्चात् उपबंधित रीति में भरा जाएगा ।

(2) (i) सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद पर भर्ती, आयोग द्वारा संचालित लिखित परीक्षा के पश्चात् साक्षात्कार, के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी, दोनों का संचालन आयोग द्वारा किया जाएगा ।

टिप्पण :- सहायक चिकित्सा अधिकारी के ग्रेड में परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों की कमी की दशा में, नियंत्रक प्राधिकारी आयोग से परामर्श से या तो विशेष परीक्षा द्वारा या साक्षात्कार द्वारा चयन के माध्यम से भर्ती करने का विनिश्चय कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव और आयु-सीमा का विनिश्चय प्रत्येक अवसर पर आयोग के परामर्श से किया जाएगा ।

(ii) विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी ग्रेड -2 (कनिष्ठ वेतनमान) के पद पर भर्ती अनुसूची-4 में विहित आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताओं और अनुभव के अनुसार परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों के माध्यम से चयन द्वारा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के आधार पर किया जाएगा ।

3. सेवा में सम्मिलित संबंधित उप वर्गों में पदों पर नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति के लिए चयन का क्षेत्र, जिसके अंतर्गत तुरंत निचले ग्रेड में न्यूनतम अर्हक सेवा है, अनुसूची-2 में यथाविनिर्दिष्ट होगा ।

4 (i) साधारण ड्यूटी उप कांडर में सहायक चिकित्सा अधिकारी, ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी/सहायक निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, प्रधान चिकित्सा अधिकारी/उप-निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, प्रधान चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यकारी चयन ग्रेड)/उप निदेशक स्वास्थ्य सेवा(अकृत्यकारी चयन ग्रेड) और मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ के पद और विशेषज्ञ उप-कांडर में विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1। (कनिष्ठ वेतनमान), विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1। (ज्येष्ठ वेतनमान) और विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1 और ज्येष्ठ विशेषज्ञ के पद, प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए संबंधित उप-कांडरों में परिवर्तनीय हैं ।

ii) पूर्वोक्त खंड (i) में वर्णित ग्रेड (प्रविष्टि ग्रेडों से भिन्न) में प्रोन्नति डायनामिक अस्योर कैरियर प्रोगेशन स्कीम के अधीन रिक्तियों के प्रति बिना किसी लिंक के होगी ।

(5) जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(6) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नियंत्रक प्राधिकारी आयोग के परामर्श से अनुसूची-1 में सम्मिलित किसी पद पर, किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा के आधार पर नियम 5 के खंड (iii) और (iv) में वर्णित पद्धति के अधीन नियुक्त कर सकेगा और इस प्रकार चयन किया गया अधिकारी अनुसूची 2 के टिप्पण 1 में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्त होगा ।

(7) सेवा के पदों पर प्रोन्नति और पुष्टि क्रमशः विभागीय प्रोन्नति समिति और विभागीय पुष्टि समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी, जैसा कि अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट है ।

(8)(i) सरकार, आयोग के परामर्श से किसी अधिकारी को जिसकी सेवा को नियम 3 के उपनियम (1) के परन्तुक के अधीन सेवा में सम्मिलित किया गया है, को सेवा के उपयुक्त ग्रेड में अस्थायी क्षमता में या अधिष्ठायी क्षमता में नियुक्त कर सकेगी

जैसा कि वह उचित समझे और उसकी ज्येष्ठता को सदृश ग्रेड में सतत नियमित सेवा को गणना में लेने के पश्चात् नियत कर सकेगी।

(ii) सेवा में सीधी भर्ती के लिए विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं, अनुभव और आयु-सीमा अनुसूची-4 में यथाविनिर्दिष्ट होगी।

7. ज्येष्ठता : (1) सेवा में भर्ती किए गए अधिकारियों की ज्येष्ठता का अवधारण, इस विषय में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी साधारण अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

(2) सेवा के संबंधित उप-काँडर के किसी ग्रेड में नियुक्त सदस्यों की ज्येष्ठता वे होगी, जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को है परंतु यह कि ऐसे किसी सदस्य की ज्येष्ठता का उस तारीख को विनिर्दिष्टतः अवधारण नहीं किया गया है तो उसका अवधारण सरकार द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में सरकार के अधीन समान सेवा के सदस्यों को लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(3) नियम 4 के अधीन सेवा में किसी भी ग्रेड में सम्मिलित किए गए सभी स्थायी अधिकारी उन सभी अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगे जिनकी पश्चातवर्ती रूप से उस ग्रेड में अधिष्ठायी आधार पर नियुक्ति की गई है और सेवा में किसी भी ग्रेड में सम्मिलित अस्थायी अधिकारी पश्चातवर्ती रूप से किसी ग्रेड में नियुक्त अस्थायी अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगे।

(4) ऐसे मामले जो ऊपर दिए गए उपबंधों के अधीन नहीं आते हैं, में ज्येष्ठता का अवधारण सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

8. सेवा का दायित्व : (1) सेवा में नियुक्त अधिकारी भारत में कहीं भी सेवा करने का दायी होगा।

(2) सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति से, यदि ऐसा अपेक्षित हो तो सशस्त्र बलों में, चार वर्ष से अन्यून अवधि के लिए, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण की अवधि, यदि कोई है, सम्मिलित है, सेवा करने का दायी होगा :

परन्तु ऐसे व्यक्ति से उसकी नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात, यथा पूर्वोक्त सेवा करने की अपेक्षा नहीं होगी।

(3) व्यक्ति से साधारणतया पैंतालिस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पूर्वोक्त के अनुसार सेवा करने की अपेक्षा नहीं होगी।

9. परिवीक्षा : (1) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा, सिवाय विशेषज्ञ काडर के, जहां परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष होगी।

परन्तु नियंत्रक प्राधिकारी परिवीक्षा की अवधि का सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार विस्तार कर सकेगा किंतु वह कुल अवधि जिस तक सेवा में भर्ती किया गया कोई व्यक्ति परिवीक्षा पर रखा जा सकेगा, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। परंतु यह और कि किसी व्यक्ति की परिवीक्षा की अवधि का विस्तार करने का कोई विनिश्चय पूर्ववर्ती परिवीक्षा की अवधि के अवसान के आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा और संबंधित अधिकारी को ऐसा करने के कारणों सहित उक्त अवधि के भीतर लिखित में संसूचित किया जाएगा।

(2) यदि, यथास्थिति, उपनियम (1) या उसके किसी विस्तार में निर्दिष्ट परिवीक्षा की अवधि के दौरान नियंत्रक प्राधिकारी का यह मत है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है तो वह उस अधिकारी को निर्मुक्त कर सकेगा या ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(3) परिवीक्षा या उसके किसी विस्तार के दौरान परिवीक्षा के समाधानप्रद रूप से पूरा किए जाने की एक शर्त के रूप में अधिकारी से सरकार द्वारा प्रशिक्षण के ऐसे पाठ्यक्रम और अनुदेश करने की और ऐसी परीक्षा और परीक्षण पारित करने की अपेक्षा की जा सकेगी जैसा सरकार उचित समझे।

(4) परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में सेवा के सदस्य समय-समय पर इस संबंध में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों से शासित होंगे।

(5) समूह "क" के भीतर प्रोन्नत अधिकारियों के संबंध में कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. निरर्हताएं--- वह व्यक्ति,--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं है परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दी गयी हो।

11. प्राइवेट प्रैक्टिस का प्रतिषेध :

(1) सेवा में नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार की प्राइवेट प्रैक्टिस, जिसके अंतर्गत परामर्शी और प्रयोगशाला प्रैक्टिस भी है, करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(2) सेवा में नियुक्त व्यक्ति प्रैक्टिस बंदी भत्तों के लिए अनुसूची (1) में विनिर्दिष्ट दरों पर और जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जाए, दरों पर भत्ते के हकदार होंगे।

12. वेतन का विनियमन : विभिन्न ग्रेडों के अधिकारियों का वेतन और वेतन वृद्धि का विनियमन सरकारी सेवक के वेतन के संबंध में आधारभूत नियमों या समय-समय पर लागू अन्य सुसंगत नियमों के अनुसार किया जाएगा।

13. छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तें : सेवा में नियुक्त किए गए व्यक्तियों की छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तें, जिनकी बाबत इन नियमों में स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, अपेक्षित उपारतणों सहित सेवा में संबंध में सरकार द्वारा जारी विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए वहीं होंगी जो सामान्यतः केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'क' के अधिकारियों को लागू होंगी हैं।

14. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

15. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

16. अवशिष्ट मामले : अवशिष्ट मामले जो इन नियमों में विशिष्टतया कवर नहीं किए गए हैं, सेवा के सदस्य सामान्यतया केन्द्रीय सिविल सेवा को लागू नियमों विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

अनुसूची।

[नियम 2(ज) 3(2) और 4(3) देखिए]

1. भारतीय आयुध निर्माणी स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित समूह क पदों के ग्रेड, संख्या, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान और प्रैक्टिसबंदी भत्ता

क्रम सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान
(I)	क. साधारण ड्यूटी उप काडर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ	01	रु. 67000(3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)- 79000
1.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ		वेतन बैंड 4 में रु. 37400-67000 में ग्रेड वेतन 10000
2.	प्रधान चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यकारी चयन ग्रेड)/उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ (अकृत्यकारी चयन ग्रेड)		वेतन बैंड 4 में रु. 37400-67000 में ग्रेड वेतन 8700
3.	प्रधान चिकित्सा अधिकारी/उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ	229	वेतन बैंड 3 में रु. 15600-39100 में ग्रेड वेतन 7600

4.	ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी/सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ		वेतन बैंड 3 में रु. 15600-39100 में ग्रेड वेतन 6600
5.	सहायक चिकित्सा अधिकारी		वेतन बैंड 3 में रु. 15600-39100 में ग्रेड वेतन 5400
ख. विशेषज्ञ उप काडर			
6.	ज्येष्ठ विशेषज्ञ		वेतन बैंड 4 में रु. 37400-67000 में ग्रेड वेतन 10000
7.	विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी ग्रेड I		वेतन बैंड 4 में रु. 37400-67000 में ग्रेड वेतन 8700
8.	विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी ग्रेड II (ज्येष्ठ वेतनमान)	53	वेतन बैंड 4 में रु. 15600-39100 में ग्रेड वेतन 7600
9.	विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी ग्रेड II (कनिष्ठ वेतनमान)		वेतन बैंड 4 में रु. 15600-39100 में ग्रेड वेतन 6600

II. प्रेक्टिस बंदी भत्ते की दरें (एन. पी. ए)

मूल वेतन (वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन) का 25% इस शर्त के अध्याधीन कि मूल वेतन और एन.पी.ए रु. 85000 से अधिक नहीं होगा। प्रेक्टिस बंदी भत्ता सेवा के फायदों जिसमें महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता सहित अन्य भत्ते, जिसमें सेवानिवृत्ति फायदों की संगणना भी है, के लिए 'वेतन' माना जाएगा।

अनुसूची II

[नियम 6(3) और 5(3) देखिए]

भारतीय आयुध निर्माणी स्वास्थ्य सेवा में समूह "क" अधिकारियों की भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति/प्रोन्नति के लिए चयन का क्षेत्र और तुरंत निचले ग्रेड या निचले ग्रेड में अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा-

क्रम सं.	पद का नाम	भर्ती की पद्धति	चयन का क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा
I	निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ	प्रोन्नति द्वारा	ऐसा अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवा/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ज्येष्ठ विशेषज्ञ, जिसने उस ग्रेड में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो या समूह 'क' पद पर 25 वर्ष की सेवा, जिसमें से कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में हो। टिप्पण- प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा ग्रेड या पद के संबंध में विहित अर्हक पूरी करने की तारीख को निर्दिष्ट करते हुए तैयार की जाएगी।
II	साधारण ड्यूटी उप काडर :		
1.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवा	रिक्ति से बिना किसी संबंध के	ऐसा प्रधान चिकित्सा अधिकारी (गैरकृत्यकारी चयन ग्रेड)/उपनिदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ (गैरकृत्यकारी चयन ग्रेड) जिसने वेतन बैंड-4 वेतनमान रु. 37400-67000 सहित ग्रेड वेतन रु. 8700 में 7 वर्ष की

		प्रोन्नति द्वारा	नियमित सेवा की हो जिसके न हो सकने पर 25 वर्ष की नियमित सेवा और पहले ही प्रधान चिकित्सा अधिकारी (गैरकृत्यकारी चयन ग्रेड)/ उपनिदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ (गैरकृत्यकारी चयन ग्रेड) के रूप में पहले से ही पदोन्नत ।
2.	प्रधान चिकित्सा अधिकारी (गैरकृत्यकारी चयन ग्रेड)/उप निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ (गैरकृत्यकारी चयन ग्रेड)	रिक्ति से बिना किसी संबंध के प्रोन्नति द्वारा	ऐसा प्रधान चिकित्सा अधिकारी/उपनिदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ जिसने ग्रेड वेतन रु. 7600 के साथ वेतन बैंड-3 में वेतनमान रु. 15600-39100 में 4 वर्ष की नियमित सेवा की हो ।
3.	प्रधान चिकित्सा अधिकारी/उप निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ	रिक्ति से बिना किसी संबंध के प्रोन्नति द्वारा	ऐसा ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी/ सहायक निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ जिसने ग्रेड वेतन रु. 6600 के साथ वेतन बैंड-3 में वेतनमान रु. 15600-39100 में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो ।
4.	ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी/ सहायक निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ	रिक्ति से बिना किसी संबंध के प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : ऐसा सहायक चिकित्सा अधिकारी, जिसने ग्रेड वेतन रु. 5400 के साथ वेतन बैंड-3 में वेतनमान रु. 15600-39100 में 4 वर्ष की नियमित सेवा की हो ।
5.	सहायक चिकित्सा अधिकारी	सीधी भर्ती द्वारा	आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यताएं जैसा की सीधी भर्ती के लिए अनुसूची -4 में विहित की गई है ।
III	विशेषज्ञ उप काडर :		
1.	ज्येष्ठ विशेषज्ञ	रिक्ति से बिना किसी संबंध के प्रोन्नति द्वारा	विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी ग्रेड । जिन्होंने 8700 रुपए ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड 4 में 37400-67000 रुपए वेतनमान में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो जिसके न हो सकने पर तेरह वर्ष की नियमित सेवा और पहले से ही विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी के रूप में पदोन्नत हों ।
2.	विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी ग्रेड ।	रिक्ति से बिना किसी संबंध के प्रोन्नति द्वारा	विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी ग्रेड ॥ (ज्येष्ठ वेतनमान) जिन्होंने वेतन बैंड 3 में ग्रेड वेतन रु 7600 सहित वेतनमान रु 15600-39100 में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो ।
3.	विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी ग्रेड ॥ (ज्येष्ठ वेतनमान)	रिक्ति से बिना किसी संबंध के प्रोन्नति द्वारा	विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी ग्रेड ॥ (कनिष्ठ वेतनमान) जिन्होंने वेतन बैंड 3 में ग्रेड वेतन रु 6600 सहित वेतनमान रु 15600-39100 में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो ।
4.	विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी (ग्रेड ॥) (कनिष्ठ वेतनमान)	सीधी भर्ती द्वारा	आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यताएं जैसा की सीधी भर्ती के लिए अनुसूची -4 में विहित की गई है ।

ख. भारतीय आयुध निर्माणी स्वास्थ्य सेवा के समूह "क" के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए क्षेत्र का चयन और उसके लिए ठीक निचला ग्रेड या निचले ग्रेड में न्यूनतम अर्हक सेवा-

क्रम सं.	पद का नाम	चयन का क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा
I	सामान्य सेवा उप काडर :	
1.	प्रधान चिकित्सा अधिकारी/उप निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं	ऐसे चिकित्सा अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या रक्षा सेवाओं में सदृश पद धारण कर रहे हैं या वेतन बैंड 3 में ग्रेड वेतन रु. 6600 सहित वेतनमान रु. 15600-39100 में या समान वेतनमान में पाँच वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं।
2.	ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी/सहायक निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं	ऐसे चिकित्सा अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या रक्षा सेवाओं में सदृश पद धारण कर रहे हैं या वेतन बैंड 3 में ग्रेड वेतन रु. 5400 सहित वेतनमान रु. 15600-39100 में या समान वेतनमान में पाँच वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं।
II.	विशेषज्ञ उप काडर	
1.	विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी ग्रेड I	ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या रक्षा सेवाओं में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं और संबंधित विशेषज्ञ में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा के साथ बारह वर्ष का अनुभव रखते हैं।
2.	विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी ग्रेड II (कनिष्ठ वेतनमान)	ऐसे चिकित्सा अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या रक्षा सेवाओं में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं और सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता और अनुभव रखते हैं।

टिप्पण-1 ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या सहायक निदेशक स्वास्थ्य सेवा या विशेषज्ञ ग्रेड 2 (कनिष्ठ वेतनमान) की दशा में प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति है, की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी और प्रधान चिकित्सा अधिकारी या उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं या विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 की दशा में 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आपवादिक मामलों में प्रतिनियुक्ति की अवधि का विस्तार 5 वर्ष तक किया जा सकेगा।

टिप्पण-2 विभागीय प्रोन्नति संबंधित उप काडर के अधिकारियों तक सीमित होगी।

टिप्पण-3 प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा।

टिप्पण-4: प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन गेड है।

अनुसूची III
[नियम 6(7) देखिए]

भारतीय आयुध निर्माणी स्वास्थ्य सेवा में समूह "क" पदों के लिए (प्रोन्नति के मामलों पर विचार करने के लिए) विभागीय प्रोन्नति समिति -

(1)निदेशक स्वास्थ्य सेवा	
1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	- अध्यक्ष
2. सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग	- सदस्य
3. महानिदेशक, आयुध निर्माणी और अध्यक्ष, आयुध निर्माणी बोर्ड या अपर महानिदेशक, आयुध निर्माणी और सदस्य (कार्मिक), आयुध निर्माणी बोर्ड	- सदस्य

टिप्पणी- आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की अनुपस्थिति में समिति की कार्यवाहियां अमान्य नहीं होगी।

(2) ग्रेड वेतन रू 10000 के साथ वेतन बैंड 4 में (रुपए 37400-67000) के साथ पद, दोनों उप संवर्ग में -

1. महानिदेशक, आयुध निर्माणी और अध्यक्ष, आयुध निर्माणी बोर्ड	- अध्यक्ष
2. अपर सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग	- सदस्य
3. निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, आयुध निर्माणी बोर्ड	- सदस्य

(3) वेतन बैंड 4(रू 37400-67000) के साथ ग्रेड वेतन रू 8700 के पद, दोनों उप संवर्ग में -

1. महानिदेशक, आयुध निर्माणी और अध्यक्ष, आयुध निर्माणी बोर्ड/ अपर महानिदेशक, आयुध निर्माणी और सदस्य (कार्मिक), आयुध निर्माणी बोर्ड	- अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग	- सदस्य
3. निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं/ अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, आयुध निर्माणी बोर्ड	- सदस्य

(4) वेतन बैंड 3(रू 37400-67000) के साथ ग्रेड वेतन रू 7600 के पद, दोनों उप संवर्ग में -

1. महानिदेशक, आयुध निर्माणी और अध्यक्ष, आयुध निर्माणी बोर्ड/ अपर महानिदेशक, आयुध निर्माणी और सदस्य (कार्मिक), आयुध निर्माणी बोर्ड	- अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग	- सदस्य
3. निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं/ अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, आयुध निर्माणी बोर्ड	- सदस्य

(5) वेतन बैंड 3(रू 15600-39100) के साथ ग्रेड वेतन रू 6600 के पद -

1. महानिदेशक, आयुध निर्माणी और अध्यक्ष, आयुध निर्माणी बोर्ड/ अपर महानिदेशक, आयुध निर्माणी और सदस्य (कार्मिक), आयुध निर्माणी बोर्ड	- अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग	- सदस्य
3. निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं/ अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं/उप निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, आयुध निर्माणी बोर्ड	- सदस्य

(II) भारतीय आयुध निर्माणी स्वास्थ्य सेवाओं में समूह "क" पद विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के लिए मामलों पर विचार करने हेतु) -

(6) वेतन बैंड 3 में (रू 15600-39100) के वेतनमान में पद, दोनों उप संवर्ग में -

1. महानिदेशक, आयुध निर्माणी और अध्यक्ष, आयुध निर्माणी बोर्ड/ अपर महानिदेशक, आयुध निर्माणी और सदस्य (कार्मिक), आयुध निर्माणी बोर्ड	- अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव या निदेशक या उप सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग	- सदस्य
3. निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं या अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं या उप निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, आयुध निर्माणी बोर्ड	- सदस्य

टिप्पणी - क्रम सं 2 से 6 के पदों के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष से भिन्न भिन्न किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति से समिति की कार्यवाहियां अमान्य नहीं होंगी।

अनुसूची- IV

[नियम 6(8)(ii) देखिए]

भारतीय आयुध निर्माणी स्वास्थ्य सेवा में समूह "क" पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं तथा अनुभव
क. साधारण ड्यूटी उप-काडर

पदों का नाम	आयु	अपेक्षित शैक्षिक अन्य अर्हताएँ
सहायक चिकित्सा अधिकारी (वेतन बैंड-3 में ग्रेड वेतन 5400 के साथ 15600-39100 रुपए का वेतनमान)	32 वर्ष से अनधिक	अनिवार्य : (I) भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस डिग्री। (II) चक्रानुक्रमी इंटरनशिप का अनिवार्यतः पूरा होना। ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने चक्रानुक्रमी इंटरनशिप पूरी नहीं की है, परीक्षा में भाग लेने के पात्र होंगे परंतु यदि उनका चयन हो जाता है तो उन्हें नियुक्ति से पूर्व चक्रानुक्रमी इंटरनशिप को समाधानप्रद से पूरा करना होगा।

टिप्पण 1 : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख उस वर्ष की पहली जनवरी होगी जिस वर्ष परीक्षा आयोजित की गई है।

टिप्पण 2 : केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों को आयु में छूट दी जाएगी जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर सूचित किया जाए।

ख. विशेषज्ञ उप काडर

पदों का नाम	आयु	अपेक्षित शैक्षिक अन्य अर्हताएं
विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-II (कनिष्ठ वेतमान) (वेतन बैंड-3 में ग्रेड वेतन 6600 के साथ 15600-39100 रुपए का वेतनमान)	40 वर्ष से अधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	I) भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस डिग्री। II) भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नीचे दिए गए अनुसार संबंधित विशेषज्ञ में स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान अर्हता। III) स्नातकोत्तर डिग्री धारकों की दशा में विशेषज्ञ से संबंधित किसी उत्तरदायी पद पर तीन वर्ष का कार्य अनुभव और

		स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारकों की दशा में किसी उत्तरदायी पद पर पांच वर्ष का कार्य अनुभव।
--	--	---

भारतीय आयुध निर्माणी स्वास्थ्य सेवा में समूह "क" ड्यूटी पदों पर भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर अर्हताओं की सूची -

विशेषज्ञता	स्नातकोत्तर डिग्री अर्हता	स्नातकोत्तर डिप्लोमा अर्हता
संवेदनहारण विज्ञान	एम.डी./डी.एन.बी. संवेदनहारण विज्ञान	संवेदनहारण में डिप्लोमा
साधारण औषधि	एम.डी./डी.एन.बी. साधारण औषधि	शून्य
साधारण शल्य क्रिया	एम.डी./डी.एन.बी. साधारण शल्य क्रिया	शून्य
प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान	एम.डी./एम.एस/डी.एन.बी. प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान	प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान में डिप्लोमा
विकृति विज्ञान	एम.डी./डी.एन.बी. विकृति विज्ञान	नैदानिक विकृति विज्ञान में डिप्लोमा
विकिरण विज्ञान	एम.डी. विकिरण निदान/विकिरण विज्ञान डी.एन.बी. विकिरण निदान	विकिरण निदान में डिप्लोमा

टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 3 : अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) योग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

टिप्पण 4: भारतीय चिकित्सा परिषद/केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा द्वारा मान्यताप्राप्त सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आई.ओ.एफ.एच.एस में भर्ती हेतु सम्यकतः मान्यताप्राप्त होंगे।

[फा. सं. -10(1)/2010-डी (एफ वाई. 1)]

विश्वजीत सरकार, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE
(Department of Defence Production)
New Delhi, the 30th November, 2015

S.R.O. 44.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Ordnance Factories Health Service (Group 'A') Recruitment Rules 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Indian Ordnance Factories Health Service, namely:

1. Short title and commencement: - (1) These rules may be called the Indian Ordnance Factories Health Service, (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition - In these rules, unless the context otherwise requires;

- (a) "Commission" means the Union Public Service Commission;
- (b) "Controlling Authority" means the Government of India in the Ministry of Defence, Department of Defence Production;
- (c) "Departmental Promotion Committee" means a Group 'A' Departmental Promotion Committee specified in Schedule III for considering the cases of promotion;
- (d) "Departmental Confirmation Committee" means a Group 'A' Departmental Confirmation Committee specified in Schedule III for considering the cases of confirmation;
- (e) "Government" means the Government of India;
- (f) "Grade" means a grade of the Service;
- (g) "Schedule" means a Schedule annexed to these rules;
- (h) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall respectively have the same meaning as in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution;
- (i) "Other Backward Classes" shall comprise the castes and communities notified by the Government from time to time;
- (j) "Service" means the Indian Ordnance Factories Health Service which shall consist of the posts or grades or Time Scales of Pay mentioned in Schedule I to these rules and comprise of the following sub- cadres and categories of Officers, namely:-

A. 'General Duty sub-cadre':

B. 'Specialist sub-cadre' in the following disciplines:

- (1) Anaesthesiology
- (2) General Medicine
- (3) General Surgery
- (4) Obstetrics and Gynaecology
- (5) Pathology
- (6) Radiolog

3. Constitution, Classification, Grades, and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale:-

(1) The Indian Ordnance Factories Health Service will consist of persons appointed to the service under rules 4 and 6:

Provided that the Government may, in consultation with the Commission, include in the service such posts as may be deemed to be equivalent to the posts included in the Service in status, grade, pay scale and professional content or grade or time-scale other than those included in Schedule-I, annexed to these rules, or exclude from the Service a post or grade or Time scale included in the said Schedule.

(2) All posts, included in the Service, shall be classified as Central Civil Service Group "A" and the Grades, Pay Band and Grade Pay or Pay Scale, non-practicing allowance and other matters connected therewith shall be as specified in Schedule-I.

4. Composition of the Service: - (1) All the Officers holding Group 'A' posts under these Rules shall be members of the Service in the posts or grades in the respective Sub-Cadres of the Service.

(2) The authorised strength of the duty posts and the deputation posts included in the various grades of the service shall be as specified in Schedule-I.

(3) The authorised permanent strength of the duty posts and the deputation posts in various grades shall be such as may, from time to time, be determined by the Government, in consultation with the Commission.

5. Method of recruitment:-The recruitment to the Service shall be made by the following methods, namely:-

- (i) By promotion;
- (ii) By direct recruitment;
- (iii) By deputation of suitable officers holding analogous post under the Government (including Ministry of Railways and Ministry of Defence) or State Governments;
- (iv) By short term contract of suitable officers holding analogous posts under the statutory bodies, autonomous bodies, Semi Government Organisations, Universities or recognised Research Institutions.

6. Future maintenance of the service:- (1) Any vacancy, in any of the grades, referred to in Schedule-I shall be filled in the manner as hereinafter provided under these rules.

(2) (i) The recruitment to the post of Assistant Medical Officer shall be made by direct recruitment on the basis of a written examination followed by interview, both conducted by the Commission.

Note:In the event of shortfall of candidates through examination in the grade of Assistant Medical Officer, the Controlling Authority, in consultation with the Commission, may decide to make the recruitment either by holding special examination or by selection by interview and for that purpose the educational qualifications, experience and the age limit for such recruitment shall be decided in consultation with the Commission on each occasion.

(ii) The recruitment to the post of Specialist Medical Officer Grade-II (Junior Scale) shall be made by direct recruitment on the basis of selection through examination or interview or both, by the Commission in accordance with the age limits, educational qualifications, and experience prescribed in Schedule-IV.

(3) The method of recruitment, the field of selection for promotion including the minimum qualifying service in the immediate lower grade, for appointment or promotion to the posts in the respective Sub-Cadres included in the service shall be as specified in Schedule II.

(4) (i) The posts of Assistant Medical Officer, Senior Medical Officer/ Assistant Director Health Services, Principal Medical Officer/ Deputy Director Health Services, Principal Medical Officer (Non Functional Selection Grade)/ Deputy Director Health Services (Non Functional Selection Grade) and Chief Medical Officer/Additional Director Health Service in the General Duty Sub-Cadre and the posts of Specialist Medical Officer Grade II (Junior Scale), Specialist Medical Officer Grade II (Senior Scale), Specialist Medical Officer Grade I and Senior Specialist in the Specialist sub-cadre are interchangeable within respective sub-cadres for the purpose of promotion.

(ii) Promotion to the grades (other than the entry grades), mentioned in clause (i) above, shall be without linkage to vacancies, under the Dynamic Assured Career Progression Scheme.

(5) Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(6) Notwithstanding anything contained in these rules, the Controlling Authority may appoint in consultation with the Commission, an Officer in a post included in Schedule I on deputation or short term contract basis under the methods mentioned in clauses (iii) and (iv) of rule 5 and the Officer so selected shall be appointed for a period as specified in Note 1 of the Schedule II.

(7) The promotion and confirmation to the posts of the Service shall be made on the recommendations of the Departmental Promotion Committees and Departmental Confirmation Committee respectively, as specified in Schedule-III.

(8) (i) The Government may, in consultation with the Commission, appoint an Officer whose post is included in the Service under proviso to sub-rule (1) of rule 3, to the appropriate grade of the Service in a temporary capacity or in a substantive capacity as may be deemed fit and fix his or her seniority in the grade after taking into account continuous regular service in the analogous grade.

(ii) The minimum educational and other qualifications, experience and age limit for appointment to various posts in the Service by direct recruitment shall be as specified in Schedule-IV.

7. Seniority:- (1) The seniority of officers recruited to the Service shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Government in the matter from time to time.

(2) The relative seniority of members of the Service appointed to a grade in the respective Sub-Cadre of the Service, shall be as obtaining on the date of notification of these rules provided that if the seniority of any such member had not been specifically determined on the said date, the same shall be determined by the Government in the Department of Personnel and Training in accordance with the rules applicable to the members of similar services under the Government.

(3) All permanent officers included in the Service under rule 4 in any grade shall rank senior to all officers substantively appointed to that grade subsequently and all temporary officers included in the Service in any grade shall rank senior to all temporary officers appointed to the grade subsequently.

(4) In the cases not covered by the above provisions, seniority shall be determined by the Government in consultation with the Commission.

8. Liability for service:-(1) Officers appointed to the service shall be liable to serve anywhere in India.

(2) Any person appointed to the Service shall if so required, be liable to serve as Commissioned Officer in the Armed Forces for a period of not less than four years including the period of training, if any:

Provided that such person shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of his appointment.

(3) The person shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty five years.

(9) Probation:- (1) Every person appointed to the Service by direct recruitment shall be on probation for a period of two years except in the Specialist sub-cadre where it will be one year:

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time but the total period up to which a person recruited to the Service may be kept on probation shall not ordinarily exceed four years. Provided further that any decision for extension of the period of probation of an Officer shall be taken within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned Officer together with the reasons for doing so within the said period.

(2) If during the period of probation referred to in sub-rule (1) or any extension thereof, as the case may be, the Controlling Authority is of the opinion that an Officer is not fit for permanent appointment, it may discharge the officer or pass such orders as it deems fit.

(3) During the period of probation or any extension thereof, Officers may be required by the Government to undergo such courses of training and instructions and to pass such examination and tests as the Government may deem fit as condition for satisfactory completion of the probation.

(4) As regards other matters relating to probation, the members of the Service will be governed by the instructions issued by the Government in this regard from time to time.

(5) There will be no probation in respect of officers promoted within Group 'A'.

10. Disqualification: No person:-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person shall be eligible for appointment to the Service, provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

11. Prohibition of Private Practice: -

(1) The person appointed to the Service shall not be allowed for private practice of any kind whatsoever including any consultation and laboratory practice:

(2) The persons appointed to the service shall be entitled to a non-practicing allowance at the rates specified in Schedule-I and as amended from time to time by the Government.

12. Regulation of Pay: -The pay and increment of Officers of the various grades shall be regulated in accordance with the Fundamental Rules or other relevant rules in force from time to time relating to pay of a Government Servant.

13. Leave, Pension and other Conditions of the Service:-The Leave, pension and other conditions of service of the members of the Service, in respect of matters not expressly provided for in these rules, shall mutatis mutandis subject to any special orders issued by the Government in respect of the Service, be the same as those applicable to officers of the Central Civil Services Group 'A' in general.

14. Power to Relax:-Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

15. Saving:-Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

16. Residuary Matters:-In regard to residuary matters, not specifically covered by these rules, the Members of the Service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable to the Central Civil Services in general.

SCHEDULE-I
[See Rule 2(h), 3(2) and 4(3)]

I. Grades, number of posts, pay band and grade pay or pay scale, non-practising allowance for group 'A' posts included in the Indian Ordnance Factories Health Service:

Sl. No.	Name of Post	Number of Posts	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale
(I)	Director Health Services	01	Rs. 67000 (annual increment @3%) -79000
A. GENERAL DUTY SUB CADRE:			
1.	Chief Medical Officer/ Additional Director Health Services	229	Rs.37400-67000 in Pay Band-4 plus Grade Pay of Rs.10000
2.	Principal Medical Officer (Non-functional Selection Grade) / Deputy Director Health Services (Non-functional Selection Grade)		Rs.37400-67000 in Pay Band-4 plus Grade Pay of Rs.8700
3.	Principal Medical Officer/ Deputy Director Health Services		Rs.15600-39100 in Pay Band-3 plus Grade Pay of Rs.7600
4.	Senior Medical Officer/ Assistant Director Health Services		Rs.15600-39100 in Pay Band-3 plus Grade Pay of Rs.6600
5.	Assistant Medical Officer		Rs.15600-39100 in Pay Band-3 plus Grade Pay of Rs.5400
B. SPECIALIST SUB CADRE:			
1.	Senior Specialist	53	Rs.37400-67000 in Pay Band-4 plus Grade Pay of Rs.10000
2.	Specialist Medical Officer Grade-I		Rs.37400-67000 in Pay Band-4 plus Grade Pay of Rs.8700
3.	Specialist Medical Officer Grade-II (Senior Scale)		Rs.15600-39100 in Pay Band-3 plus Grade Pay of Rs.7600
4.	Specialist Medical Officer Grade-II (Junior Scale)		Rs.15600-39100 in Pay Band-3 plus Grade Pay of Rs.6600

II. RATE OF NON-PRACTISING ALLOWANCE (NPA):

Twenty five percent of Basic pay (Pay Band Pay plus Grade Pay) subject to the condition that Basic Pay plus non practicing allowance shall not exceed Rs.85,000. The non-practising allowance will be treated as 'PAY' for the

purpose of computing Dearness allowance, entitlement of travelling allowance and other allowances as well as for calculation of retirement benefits.

SCHEDULE-II
[See Rule 6(3) and 5(3)]

A. The method of recruitment, field of selection for promotion and the minimum qualifying service in the immediate lower grade or lower grade for appointment or promotion of officers to Group 'A' posts in the Indian Ordnance Factories Health Service:

Sl. No.	Name of the post	Method of recruitment	Field of selection and the minimum qualifying service for promotion
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Director Health Services	By Promotion	Additional Director Health Services/Chief Medical Officer/Senior Specialist with three years of regular service or twenty five years of regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least one year of regular service should be in the Senior Administrative Grade. Note: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.
II. GENERAL DUTY SUB CADRE:			
1.	Chief Medical Officer/ Additional Director Health Services	By Promotion without linkage to vacancy	Principal Medical Officer (Non Functional Selection Grade)/ Deputy Director Health Services (Non Functional Selection Grade) with seven years of regular service in the pay scale of Rs.37400-67000 in Pay Band-4 with Grade Pay of Rs.8700 failing which twenty years of regular service and already regularly promoted as Principal Medical Officer (Non Functional Selection Grade)/ Deputy Director Health Services (Non Functional Selection Grade).
2.	Principal Medical Officer (Non Functional Selection Grade)/ Deputy Director Health Services (Non Functional Selection Grade)	By Promotion without linkage to vacancy	Principal Medical Officer/ Deputy Director Health Services with four years of regular service in the pay scale of Rs.15600-39100 in Pay Band-3 with Grade Pay of Rs.7600.
3.	Principal Medical Officer/ Deputy Director Health Services	By Promotion without linkage to vacancy	Senior Medical Officer/ Assistant Director Health Services with five years of regular service in the pay scale of Rs.15600-39100 in Pay Band-3 with Grade Pay of Rs.6600.
4.	Senior Medical Officer/ Assistant Director Health Services	By Promotion without linkage to vacancy	Promotion: Assistant Medical Officer with four years of regular service in the pay scale of Rs.15600-39100 in Pay Band-3 with Grade Pay of Rs.5400.
5.	Assistant Medical Officer	By Direct recruitment	Age limits, educational qualifications as prescribed for direct recruitment in Schedule-IV.
III. SPECIALIST SUB CADRE:			
1.	Senior Specialist	By Promotion without linkage to vacancy	Specialist Medical Officer Grade-I with seven years of regular service in the pay scale of Rs.37400-67000 in Pay Band-4 with Grade Pay of Rs.8700 failing which thirteen years of regular service and already promoted as Specialist Medical Officer Grade-I.
2.	Specialist Medical Officer Grade-I	By Promotion without linkage to	Specialist Medical Officer Grade-II (Senior Scale) with four years of regular service in the pay scale of Rs.15600-39100 in Pay Band-3 with Grade Pay of Rs.7600.

Sl. No.	Name of the post	Method of recruitment	Field of selection and the minimum qualifying service for promotion
(1)	(2)	(3)	(4)
		vacancy	
3.	Specialist Medical Officer Grade-II(Senior Scale)	By Promotion without linkage to vacancy	Specialist Medical Officer Grade-II (Junior Scale) with two years of regular service in the pay scale of Rs.15600-39100 in Pay Band-3 with Grade Pay of Rs.6600.
4.	Specialist Medical Officer Grade-II(Junior Scale)	By direct recruitment	Age limits, educational qualifications and experience as prescribed for direct recruitment in Schedule-IV.

B. Field of selection and the minimum qualifying service in the immediate lower grade or lower grade for deputation of officers to Group 'A' posts in the Indian Ordnance Factories Health Service:

Sl. No.	Name of the post	Field of selection and the minimum qualifying service for deputation
(1)	(2)	(3)
I. GENERAL DUTY SUB CADRE:		
1.	Principal Medical Officer/ Deputy Director Health Services	Medical Officers holding analogous posts on regular basis under Central or State Governments or Defence Services or with five years regular service in posts in the pay scale of Rs.15600-39100 in Pay Band-3 with Grade Pay of Rs.6600 or equivalent pay scale.
2.	Senior Medical Officer/ Assistant Director Health Services	Medical Officers holding analogous posts on regular basis under Central or State Governments or Defence Services or with five years regular service in posts in the pay scale of Rs.15600-39100 in Pay Band-3 with Grade Pay of Rs.5400 or equivalent pay scale.
II. SPECIALIST SUB CADRE:		
1.	Specialist Medical Officer Grade-I	Officers holding analogous posts on regular basis under Central or State Governments or Defence Services and possessing Post Graduate Degree or Diploma with twelve years of experience in the concerned speciality.
2.	Specialist Medical Officer Grade-II (Junior Scale)	Medical Officers holding analogous posts on regular basis under Central or State Governments or Defence Services and possessing qualifications and experience prescribed for direct recruits.

Note I: The Period of Deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years in case of Senior Medical Officer or Assistant Director Health Services or Specialist Grade-II (Junior Scale) and four years in the case of Principal Medical Officer or Deputy Director Health Services or Specialist Medical Officer Grade-II. In exceptional cases, the period of deputation may be extended up to five years.

Note II: The Departmental promotions shall be confined to officers of the respective Sub-Cadre.

Note III: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

Note IV: For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

SCHEDULE-III
[See Rule 6(7)]

(I) 'Group A' Departmental Promotion Committee (for considering the cases for promotion) in posts in the Indian Ordnance Factories Health Service:

1. Director Health Services:

- | | | |
|-------|---|------------|
| (i) | Chairman/Member, Union Public Service Commission | - Chairman |
| (ii) | Secretary, Department of Defence Production | - Member |
| (iii) | DGOF and Chairman, OFB or | |
| | Addl. Director General Ordnance Factories and Member (Personnel), OFB | - Member |

Note: The absence of a member, other than the Chairman or a Member of the Commission shall not invalidate the proceedings of the Committee.

2. Posts in Pay Band-4 (Rs.37400-67000) with Grade Pay of Rs.10000 in both the Sub-Cadres:

- | | | |
|-------|--|------------|
| (i) | DGOF and Chairman, OFB | - Chairman |
| (ii) | Additional Secretary, Department of Defence Production | - Member |
| (iii) | Director Health Services, OFB | - Member |

3. Posts in Pay Band-4 (Rs.37400-67000) with Grade Pay of Rs.8700 in both the sub-cadres:

- | | | |
|-------|--|------------|
| (i) | DGOF and Chairman, OFB/
Addl. Director General Ordnance Factories and Member (Personnel), OFB | - Chairman |
| (ii) | Joint Secretary, Department of Defence Production | - Member |
| (iii) | Director Health Services/Additional Director Health Services, OFB | - Member |

4. Posts in Pay Band-3 (Rs.15600-39100) in PB-3 with Grade Pay of Rs.7600 in both the sub-cadres:

- | | | |
|-------|---|------------|
| (i) | DGO and Chairman, OFB/
Addl. Director General Ordnance Factories and Member (Personnel), OFB | - Chairman |
| (ii) | Joint Secretary, Department of Defence Production | - Member |
| (iii) | Director Health Services/Additional Director Health Services, OFB | - Member |

5. Posts in Pay Band-3 (Rs.15600-39100) in PB-3 with Grade Pay of Rs.6600

- | | | |
|-------|---|-----------|
| (i) | DGOF and Chairman, OFB/
Addl. Director General Ordnance Factories and Member OFB | -Chairman |
| (ii) | Joint Secretary / Director/Deputy Secretary,
Department of Defence Production | - Member |
| (iii) | Director Health Services/Additional Director Health Services/
Deputy Director Health Services, OFB | -Member |

(II) Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering the cases for confirmation) in posts in the Indian Ordnance Factories Health Services

6. Posts in the pay scale of Rs.15600-39100 in PB-3 in both the Sub-Cadres:

- (i) DGOF and Chairman, OFB or Addl. DGOF and Member, OFB - Chairman
- (ii) Joint Secretary or Director or Deputy Secretary,
Department of Defence Production - Member
- (iii) Director Health Services or Additional Director Health Services or
Deputy Director Health Services, OFB - Member

Note: For the posts at Sl. No. 2 to 6, the absence of a member, other than the Chairman of the Departmental Promotion Committee shall not invalidate the proceedings of the Committee.

SCHEDULE-IV

[See rule6 (8) (ii)]

Minimum educational and other qualifications, experiences and age limits for direct recruitment to Group A' posts in the Indian Ordnance Factories Health Service:

A. GENERAL DUTY SUB CADRE:

B.

Name of Posts	Age	Educational and other Qualifications required
(1)	(2)	(3)
Assistant Medical Officer (Rs.15600-39100 in Pay Band-3 with Grade Pay of Rs.5400)	Not exceeding 32 years.	Essential: (i) MBBS Degree recognised by the Medical Council of India. (ii) Completion of compulsory rotating internship. Candidates who may not have completed rotating internship shall be eligible to appear for the examination provided that if selected, they shall have to satisfactorily complete the compulsory internship before appointment.
<p>Note 1: The crucial date for reckoning the age limit shall be the first day of January of the Year in which the examination is held.</p> <p>Note 2: The upper age limit shall be relaxable for candidates belonging to the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes and certain other categories as may be notified by the Government from time to time.</p>		

B. SPECIALIST SUB CADRE:

Name of Posts	Age	Educational and other Qualifications required
(1)	(2)	(3)
Specialist Medical Officer Grade-II (Junior Scale) (Rs.15600-39100 in Pay Band-3 with Grade Pay of Rs.6600)	Not exceeding 40 years. (relaxable for Government servants by five years in accordance with the instructions issued by the Government.)	Essential: (i) MBBS Degree recognised by the Medical Council of India. (ii) A Post Graduate Medical qualification in the concerned specialty as given below recognised by the Medical Council of India. (iii) three years work in a responsible position concerned with the specialty in the case of post graduate degree holders and five years work in a responsible position concerned with the specialty in the case of post graduate diploma holders.

List of recognised Post-graduate qualifications for recruitment to Group 'A' duty posts and deputation posts in the Indian Ordnance Factories Health Service:

Speciality	Post Graduate Degree Qualification	Post-Graduate Diploma Qualification
Anaesthesiology	MD/ DNB Anaesthesiology	Diploma in Anesthesia
General Medicine	MD/ DNB General Medicine	Nil
General Surgery	MS/ DNB General Surgery	Nil
Obstetrics and Gynaecology	MD//MS/ DNB Obstetrics and Gynecology	Diploma in Obstetrics and Gynecology
Pathology	MD/ DNB Pathology	Diploma in Clinical Pathology
Radiology	MD Radio-diagnosis/ Radiology DNB Radio-Diagnosis	Diploma in Radio-diagnosis

Note 1: The crucial date for determining the age limit should be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep. Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep etc.).

Note 2: The qualifications are relaxable at the discretion of the Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 3: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill the vacancies reserved for them.

Note 4: All Post Graduate Courses recognised by the Medical Council of India/Central Health Service shall be duly recognised for purpose of recruitment at various levels in the IOFHS.

[F. No. 10(1)/2010-D(FY.I)]

BISWAJIT SARKAR, Under Secy.